(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाराँ (राज.)

पीठासीन अधिकारी बृजमोहन बैरवा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 343/2021

रजिस्ट्रेशन सं0 :– 2021/374

बउनवान

1. हीरालाल पुत्र भंवरलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम खातौली तहसील छबड़ा
2. बनवारी पुत्र भंवरलाल जाति बैरवा(कबाड़ी) निवासी ग्राम खातौली तहसील छबड़ा
3. रामकरण पुत्र भंवरलाल जाति बैरवा(कबाड़ी) निवासी ग्राम खातौली तहसील छबड़ा

(अपीलांटगण)

बनाम

1. मुकेश पुत्र रामदयाल जाति धोबी निवासी मोरेली तहसील छबड़ा
2. राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छबडा जिला बाराँ

(रेस्पोडेन्टगण)

अपील विरूद्ध तहसीलदार छबड़ा के प्रकरण सं0 :– राजस्व/धारा 183(बी)/2021/760–764 में पारित आदेश/निर्णय दिनांक 12.11.2021 अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट

उपस्थित :– 1– श्री मदन लाल गालव अभिभाषक (अपीलांटगण)
2– श्री हरिओम चतुर्वेदी अभिभाषक (रेस्पो. क्रम 1)
3– पेरोकार सरकार (रेस्पो. क्रम 2)

निर्णय दिनांक 08.04.2022

अपीलांटगण द्वारा जर्ये विद्वान अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबड़ा के द्वारा अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183(बी) के तहत प्रकरण सं0 :– राजस्व/धारा 183(बी)/2021/760–764 में पारित आदेश/निर्णय दिनांक 12.11.2021 से अप्रसन्न होकर विरूद्व रेस्पोडेन्टगण के अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट के तहत अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 08.12.2021 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जर्ये सम्मन से तलब किया गया। प्रकरण में अपीलांट के अभिभाषक की स्थगन प्रार्थना पत्र पर एकपक्षीय बहस सुनी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की क्रियान्विति दिनांक 28.12.2021 तक स्थगित रखी गई। रेस्पोडेन्ट क्रम 1 द्वारा जर्ये अभिभाषक उपस्थिति दी गई। रेस्पोडेन्ट क्रम 2 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित है। प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबड़ा के पत्रांक 546 दिनांक 27.12.2021 से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर संलग्न पत्रावली की जाकर उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

अपीलांटगण के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत अपील के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि रेस्पो. क्रम 1 ने अपीलांट के विरूद्ध वाके माल ग्राम खातोली तहसील छबड़ा की आराजी खाता सं0 62 खसरा नंबर 178/33 रकबा 7 बीघा 8 बिस्वा भूमि से उन्हें बेदखल कर कब्जा प्राप्त करने हेतु तहसीलदार छबड़ा के समक्ष आवेदन अन्तर्गत धारा 183(बी) प्रस्तुत किया। जिसपर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबड़ा ने उक्त आराजी के 4/5 हिस्से से अपीलांट को बेदखल कर रेस्पो. क्रम 1 को कब्जा दिलाने का निर्णय दिनांक 12.11.2021 को किया गया है। साथ हीं एस. एच.ओ. छबड़ा को भी आदेशित किया है कि वह पुलिस इमदाद उपलब्ध कराकर आदेश की पालना करवाए एवं सरपंच ग्राम पंचायत गुगोर मय कोरम उपस्थित रहे एवं आदेश की पालना में कब्जा दिलाने हेतु आदेश प्रसारित कर दिया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.04.26 15:40:43 IST
Reason: SelfAttested

इस निर्णय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत है। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय निम्न आधारों पर निरस्तनीय है–

1. अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय कानून के खिलाफ एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत है।
2. प्रार्थना पत्र में रेस्पोडेन्ट ने यह कथन नहीं किया कि अपीलांट ने आराजी पर कब्जा कब किया है, इस कारण वाद कारण कब पैदा हुआ है, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। बिना सही तथ्यों की जाँच के अधीनस्थ न्यायालय ने अति उतावलेपन में निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है।
3. अपीलांट ने सम्पूर्ण रकबे पर जर्ये इकरारनामा मय दिनांक 26.04.1996 से जमीन को क्रय करके उसी दिन से काबिज है एवं 25 वर्षों से अधिक समय से पूर्व भूस्वामी की सहमति से स्वेच्छा से कब्जा प्रदान करने के बाद से निरंतर व निर्बाध रूप से काबिज काश्त करते चले आ रहे है। वर्तमान में भी अपीलांट ने काफी खर्च करके सरसों व लहसुन की फसल बोई है, जो उगकर बड़ी हो रही है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को बेदखल किया गया तो उन्हें भारी आर्थिक नुकसान होगा।
4. अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि अपीलांट ने पैसा देकर आराजी वादग्रस्त को वर्ष 1996 में खरीदा है एवं उक्त सौदा की लिखापढ़ी हुई है। इस कारण अपीलांट वैधानिक रूप से काबिज है जिन्हें कभी पूर्व में बेदखल नहीं किया गया है और न हीं इकरारनामा को अवैध घोषित किया गया है।
5. रेस्पोडेन्ट के नाम उक्त आराजी 06.10.2020 उर्मिला से क्रय करने एवं उसके बाद उसकी खातेदारी में आने का कथन करता है एवं इसके पूर्व की कोई जमाबन्दी उसके खाते की पेश नहीं की है एवं उसने आराजी पर कभी कब्जा नहीं किया। कब्जा वर्ष 1996 से आज तक निरंतर अपीलांट का हीं बना हुआ है। इस कारण स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट क्रम 1 इस आराजी पर कभी काबिज नहीं रहा है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उसके कब्जे की आराजी से अपीलांट द्वारा जबरन ताकत के बलपर कब्जा करने की बात मानकर विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है।
6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका भी नहीं देखा गया है। मौके पर खेत पर अपीलांट की पत्थर की बाउण्ड्री हो रही है एवं तारबाड़ हो रही है। अपीलांट के तीन मकान रोड साइड पर अलग–अलग बने हुए है जिनमें उनके नाम से बिजली के कनेक्शन ले रखे है एवं जमीन भी तीन हिस्सों में विभाजित होकर अलग–अलग अपीलांट द्वारा काश्त की जा रही है। उनके द्वारा रूपया देकर जमीन खरीदी है। अतिक्रमण नहीं किया गया है।
7. अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने व साक्ष्य पेश करने का अवसर भी प्रदान नहीं किया है एवं आनन–फानन में रेस्पो0 क्रम 1 से मिलीभगत कर विधिविरूद्ध निर्णय पारित किया है।
8. अपीलांट वादग्रस्त आराजी पर वर्ष 1996 से [illegible] है अर्थात् 25 वर्ष पूरे हो चुके है एवं बेदखली की कार्यवाही हेतु मियाद 12 वर्ष विधि वर्णित है। इस कारण कार्यवाही मियाद बाहर होने से चलने योग्य नहीं थी।
9. अपीलांट को उक्त निर्णय न तो सुनाया गया और न ही बताया गया। चुपचाप गुपचुप तरीके से निर्णय कर पालना हेतु आदेश पारित कर दिये एवं थानाधिकारी को भी जाब्ता हेतु सूचित किया गया। इस तरह अपीलांट को बलपूर्वक बेदखल करने व कब्जा रेस्पोडेन्ट क्रम 1 को देने को षडयंत्र था। इसकी जानकारी अपीलांट को दि 30.11.2021 को हीं मिली। अधीनस्थ न्यायालय की इस तरह की कार्यवाही निश्चय हीं उनके अनैतिक आचरण को दर्शाती है जो घोर निन्दनीय है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.04.26 15:40:43 IST
Reason: SelfAttested

10. उक्त निर्णय की पालना अपील की मियाद एक माह तक नहीं कर अपील पेश करने का पर्याप्त अवसर देना चाहिए। इसके पूर्व पालना आदेश जारी करना विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है।
11. अपीलांट गरीब मजदूर व्यक्ति है एवं स्वयं बैरवा(कबाड़ी) जाति का है जो अनुसूचित जाति के अन्तर्गत आती है एवं उनके द्वारा विक्रेताओं से जमीन खरीदने का विधिपूर्वक हक प्राप्त है।
12. वादग्रस्त आराजी में खातेदार लटूर की मृत्यु के बाद 5 संतानें थी एवं उर्मिला को मात्र 1/5 हिस्सा हीं मिलना था परन्तु उनके द्वारा एवं रेस्पो0 द्वारा मिलीभगत व बेईमानीपूर्वक जालसाजी करके षडयंत्रपूर्वक 4/5 हिस्सा उसके नाम करवाकर बेचान किया है, जो गलत है। प्रकरण में रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक द्वारा इकरारनामे का खण्डन नहीं किया है। हाल हीं में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक प्रकरण में निर्णय पारित किया है कि यदि किसी व्यक्ति का किसी भूमि पर 12 वर्ष से कब्जा है तो उसे मालिकाना हक प्राप्त है। अधीनस्थ न्यायालय में पटवारी रिपोर्ट में यह कहीं भी अंकित नहीं किया गया है कि अप्रार्थीगण का कब्जा कब से है।

अतः अपील अपीलांट पेश कर श्रीमान् से निवेदन है कि अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबड़ा का निर्णय प्रकरण सं0 राजस्व/धारा/183(बी) /2021/760–764 बउनवान मुकेश बनाम हीरालाल वगैराह निर्णय दिनांक 12.11.2021 को निरस्त फरमाया जावें।

रेस्पोडेन्टगण के अभिभाषक द्वारा कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबड़ा द्वारा पारित निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है। सम्पूर्ण खातेदारों के बजाय इकरारनामे पर केवल उर्मिला के भाई राजेन्द्र के हस्ताक्षर है। जबकि राजेन्द्र का हिस्सा मात्र 1/4 था। इस आराजी पर सभी भाई–बहिनों ने अपना हक त्याग उर्मिला के पक्ष में कर दिया था। अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि को तत्कालीन खातेदार उर्मिला पुत्री लटूर जाति मेघवाल निवासी पीपल्या जागीर तहसील छबड़ा से जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 06.10.2020 को खरीदकर एवं खातेदार उर्मिला को समुचित प्रतिफल राशि अदा करके कब्जा प्राप्त किया था। तभी से हीं अप्रार्थी उक्त कृषि आराजी का खातेदार कृषक मुताबिक राजस्व रिकार्ड चला आ रहा है। अप्रार्थी इस आराजी में 4/5 हिस्से का खातेदार कृषक है तथा अनुसूचित जाति का गरीब व्यक्ति है। प्रार्थीगण एक हीं परिवार के सदस्य है जिनका मुख्य पेशा गरीब लोगों की आराजियात पर कब्जा करने का रहा है। अपीलांटगण द्वारा रेस्पोडेन्ट की खातेदारी भूमि पर जबरन ताकत के बल पर कब्जा किया है।

प्रकरण में रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक द्वारा यह भी कहा गया कि शून्य बेचान होने पर मियाद अधिनियम लागू नहीं है जिसके समर्थन में न्यायिक दृष्टांत RBJ 2015 पेज नं. 655 हीरालाल बनाम मांगीलाल प्रस्तुत किये गये हैं। RBJ 2017 पेज नं. 98 बद्रीराम बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, RBJ 2016 पेज नं. [illegible] ताज मोहम्मद बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, RLW 2014(1)RJ पेज नं. 372 श्रीकिशन बनाम हरबक्श, दोनों पक्षकार अनुसूचित जाति के होने पर भी 183(बी) के प्रावधानानुसार बेदखल किये जायेंगे जिसके समर्थन में न्यायिक दृष्टांत RBJ 2009 पेज न. 599 नारायण बनाम कान्हीराम, इकरार नामे से कोई अधिकार सृजित नहीं होते है जिसके समर्थन में न्यायिक दृष्टांत DNJ 2020(1) पेज नं. 523 विरूराम बनाम रावतराम प्रस्तुत किये गये। साथ हीं तत्कालीन खातेदार उर्मिला द्वारा निष्पादित विक्रय पत्र की छायाप्रति भी पेश की गई है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.04.26 15:40:43 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में उभयपक्ष के अभिभाषक की बहस सुनी गई। इस न्यायालय की एवं अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबड़ा के द्वारा अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183(बी) के तहत प्रकरण सं0 :– राजस्व/धारा 183(बी)/2021/760–764 में पारित आदेश/निर्णय दिनांक 12.11.2021 का गहनता से अध्ययन किया गया जिससे पाया गया कि रेस्पोडेन्ट क्रम 1 श्री मुकेश कुमार पुत्र रामदयाल जाति धोबी निवासी मोरेली तहसील छबड़ा राजस्व रिकार्ड वाके ग्राम खातौली तहसील छबड़ा के इंतकाल सं0 380 दिनांक 16.10.2020 अनुसार वर्तमान में 4/5 हिस्से का खातेदार कृषक है एवं अनुसूचित जाति का सदस्य है। राजस्थान टीनेन्सी एक्ट, 1955 की धारा 183(बी) के अनुसार अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के सदस्य द्वारा धारित भूमि पर अतिक्रमियों को बेदखल करने का प्रावधान है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबड़ा द्वारा उसी के अनुरूप आदेश/निर्णय पारित किया गया है। जिसमें यह न्यायालय किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझता है।

अतः परिणामस्वरूप अपीलांटगण द्वारा इस न्यायालय मे प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक **08.04.2022** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(बृजमोहन बैरवा)
अति0 जिला कलक्टर,
बाराँ

Signature Not Verified

Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.04.26 16:40:43 IST
Reason: SelfAttested